

प्रेषक

ओंकार नाथ आर्य  
सरकार के उप सचिव

सेवा में

अध्यक्ष  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

विषय

पटना, दिनांक 12/10/11  
सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवहर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
निर्गत।

महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त जॉय प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा सीनियर सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवहर को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षापरान्त स्थिति निम्नवत है:-

1. यह विद्यालय शिवहर दर्शन प्रतिमा शिक्षण संस्थान सोसाइटी द्वारा संचालित है। महन्दा पटना के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का कानून नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्बंधित सोसाइटी/स्थापक के फेन्दाईजी अर्थात् किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने स्वनिर्मित भवन में संचालित है, जहाँ 1.07.134 sq.ft. 22.10c. 50 वर्षों की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय में 14 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक वार्षिक लेखा शूकशुप (तथा वार्षिक प्रतिवेदन) परिवार संरक्षण करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कारवाई करे इस सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

PRINCIPAL  
SR. SEC. DELHI PUBLIC SCHOOL  
FATEHPUR  
Senior Secondary

Delhi Public School Sheohar

Senior Secondary

Delhi Public School Sheohar

Senior Secord.ry 1

Principal

11c Sec

(i) विद्यालय में छात्रता का 25 प्रतिशत नामांकन पदोस में निम्नलिखित करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूरस्थ सुलभ अथवा विद्यार्थी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, अंगूठेवाले, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य श्रेणी के परिवार विद्यार्थी अथवा प्रत्येक 60,000/- रूपया प्रतिवर्ष होने का बंधा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए विद्यार्थी नर्सरी/के0 जी0/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं किया जायेगा। यदि नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तर्जिका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से अक्षांश की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी एस0 ई0 नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनका निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सक्षमता के अनुसार अनिर्धारित एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनुसूचित प्रजाति के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा अन्य बच्चों को प्रवेश देने की कार्यवाही भी की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2010 दिनांक 18.01.2010 को जारी किया गया है। संबंधित आवेदनों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालयों के विद्यार्थी सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण के लिए निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त शर्तों के अलावा तथ्यों के अलावा शर्तों के आधार पर सीनियर सेकेण्डरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवहर को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनुसूचित प्रजाति-वर्ग दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवहर को जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विभागाध्यक्ष  
80/-  
(ओकार नाथ आर्य)  
सरकार के जप सचिव


आपांक 51 दिनांक 12/01/11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवहर को उनके पत्रांक 667 दिनांक 12.11.2010 के तहत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

80/-  
सरकार के जप सचिव

आपांक 51 दिनांक 12/01/11

प्रतिलिपि : प्राध्यापक, सीनियर सेकेण्डरी दिल्ली पब्लिक स्कूल, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के जप सचिव